

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
सहारनपुर।

सेवामें,

प्रबन्धक,
राईज इंगलिश एकेडमी
उसण्ड साठकदीम, सहारनपुर।

पत्रांक/बेसिक/मान्यता/ 1029-31 /2022-23 दिनांक 26-05-2021

विषय:- मान्यता के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा इस कार्यालय के पत्रांक/मान्यता/अंग्रेजी माध्यम/33071-73/2015-16 दिनांक 20.02.2016 द्वारा निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के अधीन उप नियम 4 के अधीन विद्यालय को कक्षा नर्सरी से 08 तक अंग्रेजी माध्यम की मान्यता अनन्तिम मान्यता आगामी तीन वर्ष के लिए प्रदान की गई है, के नवीनीकरण/स्थायी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अग्रेत्तर कार्यालयी अभिलेखानुसार निर्धारित अवधि में विद्यालय की मान्यता की शर्तों के उलंघन की कोई भी शिकायत संज्ञानित नहीं है। अतः शासनादेश संख्या-89/अरसठ-3- 2018-2041 /2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 11.01.2019 के प्रस्तर 04 में विहित प्रावधानानुसार यह माना जाता है कि आपके विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गई है।

भवदीय,

(अम्बरीष कुमार)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
सहारनपुर।

पृ०सं० एवं दिनांक वही।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, (बे०) सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।
2. सम्बन्धित खण्ड/नगर शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
सहारनपुर।